रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938
No. 803] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.आ. 893(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन नोडल विभागों (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) को अनुदान सहायता प्रदान करके केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम (पीएमकेएसवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के ''प्रति बूंद अधिक फसल घटक'' का कार्यान्वयन कर रहा है ।

और जबकि स्कीम के अधीन दी जा रही अनुदान सहायता राज्य नोडल अभिकरणों अथवा रजिस्टीकृत अथवा पैनलीकृत कम्पनियों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को सहायता प्राप्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां तथा अन्य फायदे अथवा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए है ।

और जबकि स्कीम के अधीन प्रदान किए गए फायदों में भारत की संचित निधि से उपगत पूर्ण अथवा आंशिक आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओँ और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे अथवा आधार अधिप्रमाणन करवाएं।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, परंतु वह इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक है, के लिए 31.12.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से अपेक्षा की जाती है कि वह उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करे जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं किया है और यदि सबद्ध ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित भारसाधक विभाग कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपेक्षित है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान रजिस्ट्रार के सहयोग से अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे।

परन्तु यह कि उस व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक उक्त स्कीम के अधीन फायदा निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, अर्थात:-

(क) (i) आधार नामाकंन पर्ची, यदि हिताधिकारी ने आधार के लिए नामाकंन दिया है;

अथवा

(ii) हिताधिकारी द्वारा पैरा-2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) मतदाता पहचान पत्र; अथवा (ii) स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; अथवा (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) राशन कार्ड; अथवा (v) सरकारी कर्मचारी का आईडी कार्ड; अथवा (vi) बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटो के साथ; (vii) मनरेगा कार्ड; अथवा (viii) किसान फोटो पासबुक; अथवा (ix) मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (x) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (xi) राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक व बाधामुक्त फायदे प्रदान करने के लिए अभिकरणों राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, जिनमें निम्नलिखित भी हैं, करेंगे अर्थात:

(क) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मीडिया व्यष्टिक सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि आवेदक ने नामांकन नहीं

करवाया है तो उन्हें 31.12.2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर नामांकन करवाने की सलाह दी जाए और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि निकट आसपड़ोस जैसे ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण इस स्कीम के अधीन हिताधिकारी आधार के लिए नामांकन करवा पाने में समर्थ नहीं है, कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक संबंधित विभाग से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अथवा वेब-पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाने का हिताधिकारियों से अनुरोध किया जाये।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19-59/2016-आरएफएस-III]

आर. बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

S.O. 893(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is implementing the "Per Drop More Crop" component of the Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme by providing Grant-in-Aid to the concerned nodal Departments (hereinafter referred to as Department) under the State Government or Union territory Administration, as per the approved funding pattern;

And whereas, the Grant-in-Aid given under the Scheme is meant for providing subsidized Micro-Irrigation System and other benefits or services (hereinafter referred to as the benefits) to the farmers (hereinafter referred to as beneficiaries) through the State Nodal Agencies or Registered or Empanelled Companies (hereinafter referred to as Implementing Agencies);

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve full or partial recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31.12.2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the States or Union territories through its Implementing Agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in

the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the States or Union territories through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank / Post office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through shall be given through its Implementing Agencies to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31.12.2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 19-59/2016-RFS-III]

R. B. SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.22 14:29:28 +05'30'